रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1884] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940
No. 1884] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

का. आ. 2079(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 25 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1455 (अ) के तहत देहरादून के जिला तथा सत्र न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य था;

और जबकि, श्रीमती शादाब बानो, 7वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून जिनको भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 23 मई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 1675 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 23 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1675 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप

कर दिया गया था, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री एन. एस. धानिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-I) (वोल्यूम-II)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2018

S.O. 2079(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 1455 (E) dated the 25th June, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the District and Sessions Court, Dehradun, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Uttarakhand for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Smt. Shadab Bano, 7th Additional District and Sessions Judge, Dehradun, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1675 (E) dated the 23rd May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1675 (E), dated the 23rd May, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Uttarakhand, hereby appoints Shri N.S. Dhanik, District and Sessions Judge, Dehradun, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-I) (Vol. II)]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.26 13:22:03 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.